May 27, 2022

https://hindi.news24online.com/news/business/gst-non-resident-and-foreign-companies-tax-advocate-manoj-yadava-ccfd371f/

अनिवासी और विदेशी कंपनियों के लिए जीएसटी: कर अधिवक्ता मनोज यादव

भारत एक ऐसा विकासशील देश है जो प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों के व्यापक भंडारों से संपन्न है। यह संपन्नता उन व्यावसायिक लोगों के लिए उपयुक्त समावेश है जो व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं यह बात कर अधिवक्ता मनोज यादव ने कहीं। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि पूरी दुनिया आज भारत को मौजूदा समय में व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान के तौर पर देखती है। लेकिन भारत में व्यवसाय शुरू करने से पहले, अनिवासी व्यक्ति को कुछ खास अनिवार्यता पूरी करने की जरूरत होती है, जिनमें व्यावसायिक योजना को परिभाषित करना, दस्तावेज पूरे करना, और संबद्ध अधिकारियों के समक्ष आवेदन करना मुख्य रूप से शामिल हैं।

कर अधिवक्ता मनोज यादव ने बताया कि वर्ष 2017 में भारतीय अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया और जीएसटी की शुरुआत की गई थी। जीएसटी की पेशकश के साथ, सरकार ने अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था को आसान बनाया और पूर्व की कर प्रणाली में मौजूद कई तरह की समस्याओं को दूर किया। इनमें एक बड़ा बदलाव था करों और उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट आदि जैसे विभिन्न करों और शुल्कों को एक नियम के अधीन लाना, जिसे जीएसटी नाम दिया गया। देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बदलाव के पीछे मुख्य मकसद अप्रत्यक्ष कर श्रेणी में ज्यादा संख्या में करदाताओं को लाना था। भले ही अनिवासी और विदेशी कंपनियां इससे अलग नहीं थीं। आज भी हम विदेशियों और अनिवासियों के लिए जीएसटी पंजीकरण और अनुपालन के साथ साथ जीएसटी के लिए प्रक्रिया और दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे हैं। कर अधिवक्ता मनोज यादव ने बताया कि अनिवासी करदाता को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 24 के तहत फॉर्म-जीएसटी आरईजी-09 में जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यवसाय शुरू करने के 5 दिन के अंदर आवेदन करने की जरूरत है, लेकिन कम्पोजीशन डीलर स्कीम के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता।

इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं जैसे

पहचान का सबूत (वीजा विवरण के साथ पासपोर्ट), व्यवसाय का मुख्य स्थान, कंपनी की स्थापना का प्रमाण पत्र (कंपनी जिस देश से पंजीकृत हो) अन्य देश द्वारा जारी लाइसेंस को जारी करने का विवरण,
भारत सरकार द्वारा जारी मंजूरी पत्र, बैंक अकाउंट प्रूफ और भारत में विदेशी कंपनी या व्यक्ति की ओर से वैध पैन धारक के साथ देश में अधिकृत प्रतिनिधि।
इसके अलावा, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को कर पहचान संख्या या यूनिक नंबर सौंपना होगा, जिसके आधार पर कंपनी की पहचान देश की सरकार द्वारा की गई हो। वस्तु एवं सेवा कर के साथ पंजीकरण के लिए अनिवासी कर योग्य दायरे में आने वाले लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज होते हैं। आवेदन फॉर्म जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, इन्हें स्वयं या किसी पेशेवर की मदद से आसानी से भरा जा सकता है।

फॉर्म जीएसटी-आरईजी-09 भरने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) मिलेगा। इस एआरएन के साथ कर आकलनकर्ता को जरूरी कर देनदारी चुकानी चाहिए और वैध अवधि के लिए पहले से ही इसका भुगतान कर देना चाहिए।

विदेशियों के लिए जीएसटी पंजीकरण के लाभ जैसे

अनिवासी व्यक्ति की सुव्यवस्थित और निर्धारित कर देनदारी होती है। अनुपालन की संख्या भारत में पुरानी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली के मुकाबले कम है। आसान और सरल ऑनलाइन प्रक्रिया है। व्यावसायिक क्षेत्र की दक्षता में काफी सुधार आया है।

हालांकि विदेशी व्यवसायी इस तथ्य के बाद भी अनिवार्य कर मंजूरियों को नजरअंदाज कर गलतियां करते हैं कि अब प्रक्रियाएं काफी सरल और सुविधाजनक हैं। अब छोटे पेशेवर/विशेषज्ञ की कंसल्टेंसी उनकी सभी तरह की मंजूरियों के लिए कार्य कर सकती है, जिससे आखिरकार उनके व्यवसाय के सुगम परिचालन में मदद मिल सकती है।

इसलिए, सभी विदेशी व्यवसायियों को इस तथ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि भारत में व्यवसाय करना आसान है, लेकिन साथ ही समय पर सभी नियमों को पूरा करने भी समान रूप से जरूरी है। यदि वे सब कुछ समय पर पूरा करते हैं, तो उन्हें अपने व्यवसाय बढ़ाने में कोई समस्या नहीं आ सकती। जहां किसी पश्चिमी देश में व्यवसाय आरंभ करने के लिए सख्त नियम पूरे करने की जरूरत होती है, वहीं अब भारत में व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाएं बेहद आसान और स्पष्ट हो गई हैं।